राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1004/2017

अम्मी लाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.07.2017
आदेश की दिनांक : 07.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल (चालक) के पद पर दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर दिनांक 30.03.1998 को हुई थी तथा अपीलार्थी को दिनांक 31.03.2000 को स्थाई किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.08.2016 के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 53(1) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत कर दिया गया है।

अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सेवा पुस्तिका की प्रति प्राप्त की गई के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को जो भी दण्ड दिए गए है इसमें अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच के संबंध में अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही बचाव में गवाह प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एक तरफा आदेश जारी किए गए है। अतः अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त तथ्यानुसार अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग जारी आदेश दिनांक 23.08.2016 को अपास्त करने एवं अपीलार्थी को बहाल कर सम्पूर्ण परिलाभ दिए जाने का निवेदन किया गया है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को कांस्टेबल (चालक) के पद पर दिनांक 31.03.2020 को स्थाई करने के पश्चात सेवा काल में अपीलार्थी 31 बार स्वैच्छा से गैरहाजिर रहा, जिसमें ड्यटी के दौरान शराब पीकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गाली–गलोच एवं अभद्र व्यवहार करने पर पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू द्वारा दिनांक 11.12.2007 से निलंबित (बरखास्त) किया गया तथा दिनांक 03.09.2014 को निलंबित किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच नियम 16 एवं 17 के तहत 9 बार आरोपित किया गया, जिसमें से सी.सी.ए. नियम 17 के तहत चार बार एक वर्ष एवं दो वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। सी.सी.ए. नियम 17 के तहत ही 5 बार परिनिंदा के तथा एक बार चेतावनी दिए जाने के दण्ड से दण्डित किया गया एवं सी.सी.ए. नियम 16 के तहत अपीलार्थी आरोपित को एक बार वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी को स्वैच्छा से गैरहाजिर होने पर विभागीय जांच नियम–17 सी.सी.ए. की जांच के सम्बन्ध में कई बार व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया था व नोटिस के जवाब में स्पष्टीकरण भी मांगा गया। विभागीय जांच बैठाने पर अपने आचरण में सुधार करने का अवसर भी दिया गया परंतु अपीलार्थी द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर अनिवार्य सेवानिवृति का आदेश पूर्णतया विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है। अपीलार्थी की सेवानिवृति के संबंध में राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–1) विभाग के क्रमांक प. 2(17) गृह–1/2011 जयपुर दिनांक 16.08.2016 कांस्टेबल को प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 6 (9) प्र.सु./अनु–/2001 दिनांक 07.03.2001 द्वारा गठित उच्च स्तरीय स्थाई समिति की अनुशंषानुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1996 के नियम–53 (1) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत किये जाने की सहमति प्राप्त की गई है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.07.2022 को अतिरिक्त शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को कार्मिक विभाग के परिपत्र 07.03.2001 की अनुपालना में शासन सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में लिए गए निर्णयानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है। जबकि अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाए (पेंशन) नियम 1996 के नियम 53 (1) के तहत अन्तर्गत आदेश दिनांक 23.08.2016 द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है। अपीलार्थी को सी.सी.ए. नियम (17) के तहत माइनर दण्ड दिए गए है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वर्णसिंह में दिए गए निर्णयानुसार यदि केस में कोई भी कमी रहती है तो उसे खारिज कर

दिया जाए। इस प्रकार अपीलार्थी के प्रकरण में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाकर केस खारिज फरमाया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल (चालक) के पद पर दिनांक 30.03.1998 को हुई थी तथा दिनांक 31.03.2000 को स्थाई किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.08.2016 के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 53(1) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत कर दिया गया है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश के द्वारा उक्त नियम के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्त किए जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी के सेवाभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वह अनेको बार स्वैच्छा से गैरहाजिर रहा, जिसमें ड्यटी के दौरान शराब पीकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार रहा है। उसके द्वारा कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन नहीं करना उसकी सेवाभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.12.2007 से निलंबित (बरखास्त) किया गया तथा दिनांक 03.09.2014 को निलंबित किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच नियम 16 एवं 17 के तहत कई बार आरोपित किया गया, जिसमें से सी.सी.ए. नियम 17 के तहत चार बार एक वर्ष एवं दो वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। सी.सी.ए. नियम 17 के तहत ही 5 बार परिनिंदा के तथा एक बार चेतावनी दिए जाने के दण्ड से दण्डित किया गया एवं सी.सी.ए. नियम 16 के तहत अपीलार्थी आरोपित को एक बार वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लाहपरवाही, अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार तथा अनेको बार दण्डित करने के उपरांत उसके विरूद्ध अनिवार्य सेवानिवृति का आदेश पूर्णतया विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है। राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–1) विभाग के कमांक प. 2(17) गृह–1/2011 जयपुर दिनांक 16.08.2016 कांस्टेबल को प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 6 (9) प्र.सु./अनु–/2001 दिनांक 07.03.2001 द्वारा गठित उच्च स्तरीय स्थाई समिति की अनुशंषानुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1996 के नियम–53 (1) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने की सहमति प्राप्त की गई है।

उक्त उच्च स्तर पर सहमति उपरांत ही अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 23.08.2016 के द्वारा राज सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया, जो विधि सम्मत प्रकट होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एआईआर 1954 एससी 369 श्याम लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य एवं एआईआर 1965 एससी 280 शिवचरण बनाम स्टेट ऑफ मैसूर एवं एआईआर 1980 एससी ज्ञान सिंह मान बनाम पंजाब एवं हरियाणा आदि ऐसे कई मामलों में माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश को दण्ड नहीं माना है। नियम 53 के अंतर्गत जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उल्लेख किया गया है, वह निम्न प्रकार हैः–

There is no doubt a substantive protection has been provided under law to an employee against compulsory retirement. **Rule-53** of the Pension Rules of 1996 deals with provisions for compulsory retirement and provides for certain conditions to be met before retiring a public servant. The relevant provisions of the -Rule 53 of Pension Rules of 1996 is reproduced hereinafter:

*"Rule53(1) at any time, after a government servant has completed 15 years of qualifying service or has attained the age of 50 years, whichever is earlier, the appointing authority upon having satisfied that the concerned government servant has on **account of his indolence or doubtful integrity or incompetence to discharge official duties or inefficiency in due performance of official duties, has lost his utility, may require the concerned government servant to retire in public interest after following the procedure laid down** by the government in Department of Personnel/ Administrative Reforms Department in case of such retirement, the government servant shall be entitled to retiring pension.*

***Rule-53(2)** In such case the appointing authority shall give a notice in writing to government servant at least three months before the date on which he is required to retire in public interest or three months pay and allowances in lieu of such notice.*

***Rule-53(3)** The appointing authority may publish an order of such retirement in Rajasthan Rajpatra and the government servant shall be deemed to have retired on such publication even if he has not served with the retirement order earlier.*

***Rule-53(4)** In case if such a compulsory retirement the employees may represent against the order of compulsory retirement within a period of 30 days to the concerned authorities. Explanation was that for the purpose of this rule, the expression "Appointing Authority" shall*

means the authority which is competent to make appointment to service or post them which the government servant is retired."

उपरोक्तानुसार हमारे मत में अपीलार्थी को नियम एवं विधि को ध्यान में रखते हुए राज्य सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना परिलक्षित नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में बल नहीं पाते हैं। इस प्रकार अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य